

सं०सं०-1/विविध-13/2017- 674(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव-सह-सचिव,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
राज्य स्वास्थ्य समिति कैम्पस,
शेखपुरा, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार,
शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक- 21 / 6 / 2017

विषय:- शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार की दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित सामग्री एवं कार्यालय के रख-रखाव की सभी व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जाने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि अपील (सिविल) सं०- 5041/2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-12.08.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति गठित है एवं इसका कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना के कैम्पस में अवस्थित है।

अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 15.06.2017 को हुई समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री एवं कार्यालय के रख-रखाव की सारी व्यवस्था अगले आदेश तक राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा की जायेगी एवं इसमें आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० के० महाजन)

ज्ञापांक:- 674(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 21 / 6 / 2017

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति कैम्पस, शेखपुरा, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-सचिव,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।